भरण पोषण

28/2/22 फरियादी पेश हुआ। वकील प्रार्थी उपस्थित ने उप-स्थित पत्रावली से इन्कार किया एवं सम्बन्धित वाद अभेद होने से खारिज हो गया। अतः वाद ही खारिज हो गया तो प्रार्थना पत्र के चलाने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र भी अभेद होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली सलंग्न वाद है।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)